	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 52/2020 26/21 अर्न्तगत धारा [illegible].188 आरटीए दुध मोहम्मद बनाम नफीसा व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15.06.2022	वादी व उनके अभिभाषकगण के द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते वाद पत्र विड्रो प्रस्तुत किया जिस पर पत्रावली हमारे समक्ष परस्तुत हुई। वादी व उनके अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी उक्त वाद को अब आगे नही चलाना चाहता है विचाराधीन उक्त वाद को विड्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वाद को विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करावे। वादी द्वारा अपने कथनो के समर्थन मे वाद आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये जिन्हे उनके अभिभाषक द्वारा वादी को पहचान कर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। चूंकि वादी स्वंय इस वाद को इसी स्तर पर विड्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद को इसी स्तर पर विड्रो किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर	